

कार्यालय,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना

पत्रांक- क0क्षे0वि0अं0 / 50 / 2020 /

पटना,

दिनांक- /01/2026

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, हार्डिंग रोड,
सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
द्वितीय तल, सोन भवन, पटना।

विषय:-

सोन भवन स्थित आपके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र का एकरारनामा तथा किराया, रख-रखाव शुल्क का भुगतान पुनर्निर्धारित दर पर करने अन्यथा अधिग्रहित क्षेत्र को हरहाल में खाली करने के संबंध में।

प्रसंग:-

अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-190/क0क्षे0वि0अं0 दिनांक-31.12.2020, पत्रांक-16/क0क्षे0वि0अं0 दिनांक-14.01.2021 एवं पत्रांक-207 दिनांक-07.10.2021, पत्रांक-163 दिनांक-30.09.2023, पत्रांक-197 दिनांक-08.11.2023 एवं आपका पत्रांक-633 दिनांक-05.12.2023, पत्रांक-183 दिनांक-28.03.2024 तथा अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-90 दिनांक-25.04.2024 एवं पत्रांक-28/क0क्षे0वि0अं0, पटना दिनांक-07.03.2025.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपको सूचित किया गया है कि सोन भवन/सोन एनेक्सी भवन एवं सोन भवन अवस्थित खाली परिसर के लिये नया किराया नीति अन्तर्गत दिनांक-01.02.2021 के प्रभाव से नया किराया दर एवं Maintenance Charge लागू किया गया है।

उक्त निर्धारित किराया दर एवं रख-रखाव शुल्क के संबंध में माननीय न्यायालय, गृह नियंत्रक-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के द्वारा बी0बी0सी0 वाद सं0-20/2021 में दिनांक-16.07.2022 को पारित न्याय निर्णय में कहा गया है कि "निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना के ज्ञापांक-अ0भि0-स्था0/18/2020-180/पटना, दिनांक-29.12.2020 एवं ज्ञापांक-अ0भि0-स्था0/18/2020-81/पटना, दिनांक-13.03.2021 द्वारा किराया का निर्धारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पुनः स्वच्छ किराया का निर्धारण करना उचित प्रतीत नहीं होता है।" माननीय न्यायालय के आदेश की सूचना प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपको पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी है।

उक्त आदेश द्वारा निर्धारित किराया दर एवं रख-रखाव शुल्क का विभागीय स्तर पर समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत निर्धारित किराया दर एवं रख-रखाव शुल्क को संशोधित करते हुए दिनांक-01.02.2021 से पुनर्निर्धारित किया गया, जिसकी सूचना आपको प्रासंगिक पत्रांक-163 दिनांक-30.09.2023 एवं स्मार पत्र दिनांक-197 दिनांक-08.11.2023 द्वारा भेजी जा चुकी है।

आपको सूचित करना है कि माननीय न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना के यहाँ आपके द्वारा दायर बी0बी0सी0 अपील वाद सं0-12/2022-23 में दिनांक-21.09.2024 को पारित न्याय निर्णय में कहा गया है कि "अपीलकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन पोषनीय नहीं है। गृह नियंत्रक-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक-16.07.2022 को पारित आदेश यथोचित है, जिसे संपुष्ट करते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।" आदेश की छायाप्रति आपको प्रासंगिक पत्रांक-28 दिनांक-07.03.2025 द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

पुनर्निर्धारित किराया दर एवं रख-रखाव शुल्क के अनुसार आपके द्वारा अधिग्रहित 11120.11 वर्गफीट क्षेत्र का माह जनवरी, 2026 तक अंतर किराया, रख-रखाव शुल्क इत्यादि के मद में कुल रू0 4,61,07,377.60 मात्र बकाया है। आपके द्वारा मनमाने ढंग से एवं असमय किराये का भुगतान अत्यन्त अल्प दर पर माह सितम्बर, 25 तक ही किया गया है, जो खेदजनक है। आप अवगत हैं कि किराया एवं रख-रखाव शुल्क के आय से ही कार्यरत कर्मियों के वेतनादि, भवन का रख-रखाव, जेनरेटर का संपोषण इत्यादि का कार्य किया जाता है, इसके लिए किसी भी प्रकार का आवंटन सरकार से प्राप्त नहीं होता है।

आपके कार्यालय को बार-बार मौखिक एवं लिखित सूचना देने के बावजूद अबतक न तो पुनर्निर्धारित किराया इत्यादि दर पर एकरारनामा करते हुए किराया का भुगतान किया जा रहा है न तो बकाया का भुगतान करते हुए अधिग्रहित क्षेत्र को खाली किया जा रहा है। आप अवगत हैं कि किराया इत्यादि का भुगतान प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से करना है तथा बकाया भुगतान हेतु नोटिस देने पर यदि भुगतान में विलम्ब होता है तो बकाया राशि पर 1% प्रतिमाह चक्रवृद्धि ब्याज देय है।

अतः यह आपको अंतिम नोटिस दिया जा रहा है कि पुनर्निर्धारित शर्तों पर अपनी सहमति एवं बकाया किराया इत्यादि का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर करते हुए एकरारनामा प्रारूप में निहित प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब एकरारनामा करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आपको देय सुविधाओं को बंद करते हुए बकाया किराया इत्यादि की वसूली एवं आपके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को खाली कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

ज्ञापांक- क0क्षे0वि0अं0/50/2020/

पटना,

दिनांक- /01/2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

ज्ञापांक- क0क्षे0वि0अं0/50/2020/

पटना,

दिनांक- /01/2026

प्रतिलिपि- निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना/अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास अंचल, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- क0क्षे0वि0अं0 / 50 / 2020 /

पटना,

दिनांक- / 01 / 2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0 / -

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- क0क्षे0वि0अं0 / 50 / 2020 / 16

पटना,

दिनांक- 22 / 01 / 2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

22/1/26